न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 73/2023 | दायर दिनांक 20.02.2023 | निर्णय दिनांक 27.10.2025

उनवान

1. भवंरलाल पुत्र लक्ष्मण जाट, निवासी हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा मृतक के बजाय कायम मुकाम :–
   1/1 – लाली पुत्री भवंरलाल जाट, नि0 हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
   1/2 – गुलाबी पुत्री भवंरलाल जाट, नि0 हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
   1/3 – सुमित्रा पुत्री भवंरलाल जाट, नि0 हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
   1/4 – लीला पुत्री भवंरलाल जाट, नि0 हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
   1/5 – किशन पुत्र मोहन मुतबन्ना भवंरलाल जाट, निवासी हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. जमना पुत्र श्री लक्ष्मण जाट, निवासी हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र गोपी जाट, निवासी हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. मांगी बाई पत्नी स्व0 नन्दा जाट, निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3. मोहन पुत्र नन्दा जाट, निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
4. शंकरलाल पुत्र नन्दा जाट, निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
5. हरि पुत्र नन्दा जाट, निवासी देवनारायण मन्दिर के पास, हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
6. महेश परवानी पुत्र भगवानदास परवानी निवासी बी–204 प्रज्ञा रेजिडेन्सी प्रतिष्ठा अपार्टमेंट के पास, बोडकदेव, अहमदाबाद सिटी गुजरात।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
8. उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय, भीलवाडा। जिला भीलवाडा।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की और से पृथ्वीराज चौधरी, अधिवक्ता
2. विपक्षी स0 01 की और से श्री अमित कोठारी उपस्थित।
3. विपक्षी संख्या 02 से लगायत 06 उपस्थित नहीं।
4. विपक्षी संख्या 07 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम हरणीकलां पटवार हल्का हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1730 रकबा 1.4668 हैक्टेयर यानि 05 बीघा 16 बिस्वा जिसमें 0.0126 हैक्टयर गै.मु. रास्ता एवं आराजी नम्बर 1729 रकबा 1.0495 हैक्टयर स्थित है। आराजी नम्बर 1730 प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर दर्ज है व आराजी नम्बर 1729 वादीगण के नाम पर दर्ज है। आराजी नम्बर 1729 के साबिक आराजी नम्बर 766/2 क रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा व आराजी नम्बर 1730 के साबिक आराजी नम्बर 766/1 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा दर्ज है। साबिक आराजी नम्बर 766/2 क रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा वादी संख्या 01 एवं 02 दोनो भाई भंवर लाल, जमना लाल पुत्र श्री लक्ष्मण जाट द्वारा दिनांक 09 जून 1975 को क्रय की व आराजी नम्बर 766/1 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 पांच के पूर्वजो द्वारा क्रय की गयी।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

आराजी नम्बर 766/2 क रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा का नवीन जरीब अनुसार कन्वटडेड रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा बनता है, इसी प्रकार साबिक आराजी नम्बर 766/1 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा का नवीन जरीब अनुसार कन्वर्टेड रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा बनता है। वादीगण कयशुदा रकबे पर काबिज है। परन्तु दौराने सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारीयो ने बिना किसी विधिक दस्तावेज एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के वादीगण की आराजी नम्बर 1729 में से 07 बिस्वा रकबा कम कर 04 बीघा 03 बिस्वा दर्ज कर दी है व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 की आराजी मे 06 बिस्वा रास्ते की भूमि व 07 बिस्वा वादीगण की कयशुदा आराजी नम्बर 1729 के रकबे को मिलाते हुए 05 बीघा 16 बिस्वा दर्ज कर दी, जिसमें 01 बिस्वा रास्ता किस्म व 05 बीघा 15 बिस्वा नहरी किस्म दर्ज रेकार्ड है। वादीगण व रास्ते की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के खाते में गलत तोर पर दर्ज हुई है। वादीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की आराजी नम्बर 1730 से 07 बिस्वा जमीन कम करा वादीगण अपने नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी है व साथ ही न्यायालय स्वयं आमजन हित मे 06 बिस्वा रास्ता भी दर्ज कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के मध्य रास्ते व सीमा संबधी विवाद हुआ तब राजस्व रेकार्ड मिलान खर्चा खतोनी साबिक रेकार्ड, नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां माह फरवरी 2021 मे निकलवायी व अवलोकन किया तो जानकारी में आया कि दौराने सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारीयो द्वारा वादीगण की आराजी नम्बर 1729 का कमी रकबा 07 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की आराजी नम्बर 1730 मे मिला दिया है, जो गलत है। वादीगण जो आज भी मौके पर 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वर्षो से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है व आज भी वादीगण का 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग निर्बाध रूप से आमजन व पक्षकारो की जानकारी मे चला आ रहा है।

वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को कई बार उक्त कमी रकबा वादीगण के नाम पर दर्ज कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण बार बार टालमटोल करते चले आ रहे है। वादीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, उक्त कमी रकबा पुनः अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की नियत में फितुर पैदा हो जाने से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 द्वारा वादीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल करने व आराजियात को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने पर आमादा है। दिनांक 20 जनवरी 2023 को वादीगण को कमी रकबा वादीगण के नाम पर दर्ज कराने हेतु निवेदन करने पर साफ तौर इंकार कर आराजियात को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने की धमकी दी। इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 द्वारा यह जानते हुए कि प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 के नाम पर दर्ज हक हिस्से मे वादीगण का कमी रकबा दर्ज है, इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 द्वारा प्रतिवादी संख्या 06 को वादीगण के हक हिस्से सहित सरहद हरणी कलॉ पटवार हल्का हरणी कलॉ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1730 रकबा 1.4668 हैक्टयर भूमि मे 1/2 हक हिस्सा का दिनांक 23 जनवरी 2023 को विक्रय कर विक्रयपत्र पंजीयन करा दिया, जो उपपंजीयक, भीलवाड़ा प्रथम के यहां पर पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 835 मे पृष्ठ संख्या 29 क्रम संख्या 202303026100988 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3338 के पृष्ठ संख्या 429 से 444 पर चस्पा किया गया, जो वादीगण के हक हिस्से की भूमि सहित विक्रयपत्र वादीगण के मुकाबले शुरू से ही अवैध, शून्य होकर निष्प्रभावी है व वादीगण पर बाध्यकारी नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 द्वारा मिलकर वादीगण को जबरन मौके पर बेदखल करने व आराजियात को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने पर आमादा है व दिनांक 02 फरवरी 2023 को जबरन बेदखल करने की कोशिश की व भूमि अन्य को हस्तांतरण करने की धमकी दी। इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादीगण का कमी रकबा 07 बिस्वा भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की सरहद हरणी कलॉ पटवार हल्का हरणी कलां तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1730 रकबा 1.4668 हैक्टयर यानि 05 बीघा 16 बिस्वा मे मिलाया है, जो कि राजस्व कर्मचारीयो की लापरवाही द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश/दस्तावेज के मिलाया गया है। वादीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, उक्त आराजी मे से 07 सात बिस्वा भूमि कम करा अपने नाम पर खातोदारी हक अधिकार से दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण का वादग्रस्त आराजियात पर निरन्तर रूप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है व प्रतिवादीगण के हक हिस्से मे उक्त भूमि गलत रूप से दर्ज हुई है, उक्त अधिक दर्ज हुए रकबे पर प्रतिवादी संख्या 01 से 05 एवं 06 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है व न ही आज है, जबकि शुरू से ही वादीगण का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है व आज भी वादीगण ही काबिज है। वादीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, उक्त भूमि को पुनः अपने नाम पर दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा उक्त भूमि कों वादीगणं के नाम पर दर्ज की जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

ग्राम हरणी कलॉ पटवार हल्का हरणी कलॉ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे प्रार्थीगण की साबिक आराजी नम्बर 766/2 क रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा का जिसके नवीन आराजी नम्बर 1729 कायम किये गये, जिसमे 07 बिस्वा भूमि कम दर्ज कर उक्त कमी रकबा 07 बिस्वा विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के पूर्वज की साबिक आराजी नम्बर 766/1 जिसके नवीन आराजी नम्बर 1730 मे मिला दिये गये, विपक्षी संख्या 02 लगायत 06 को भली भांति जानकारी होते हुए भी विपक्षी संख्या 02 लगायत 05 द्वारा विपक्षी संख्या 06 को प्रार्थीगण के हक हिस्से सहित ग्राम हरणी कलॉ पटवार हल्का हरणी कलॉ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1730 रकबा 1.4668 हैक्टयर भूमि में 1/2 हक हिस्सा का दिनांक 23 जनवरी 2023 को विक्रय कर विकयपत्र पंजीयन करा दिया, जो उपपंजीयक, भीलवाड़ा प्रथम के यहां पर पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 835 में पृष्ठ संख्या 29 क्रम संख्या 202303026100988 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3338 के पृष्ठ संख्या 429 से 444 पर चस्पा किया गया, जो प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि सहित विक्रयपत्र प्रार्थीगण के मुकाबले शुरू से ही अवैध, शून्य (नल एण्ड वोईड) घौषित कराया जाकर प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा, विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर दर्ज आराजी नम्बर 1730 रकबा 1.4668 हैक्टयर मे से कमी रकबा 07 बिस्वा कम करवाकर अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घौषित होने के अधिकारी है, तदनुसार घौषणात्मक डिकी बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षी संख्या 01 से 06 सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, इसी अनुसार नक्शे मे तरमीम की जाना आवश्यक है व साथ विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 की आराजी नम्बर 1730 में 06 बिस्वा रास्ते की भूमि भी दर्ज है, जिसे भी सार्वजनिक हित मे रास्ते के रूप मे दर्ज करायी जाना आवश्यक है। विपक्षीगण राजस्व रेकार्ड मे गलत दर्ज रकबे व अवैध विक्रयपत्र की आड मे प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल करने व आराजी को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द करने पर आमादा है।

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

इस कारण प्रार्थीगण के पक्ष मे एंव विपक्षीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि विपक्षीगण प्रार्थीगण को सरहद हरणी कलाँ पटवार हल्का हरणी कलाँ तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) मे आराजी नम्बर 1730 रकबा 1.4668 हैक्टेयर मे प्रार्थीगण का कमी रकबा 07 बिस्वा जिस पर प्रार्थीगण काबिज है से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करें व न ही किसी अन्य से करावें व प्रार्थीगण को उक्त आराजी का शांति पूर्वक ढंग से उपयोग–उपभोग करने देवे व किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वंय पैदा करें व न ही किसी अन्य से करावें व आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय हस्तान्तरण / खुर्द–बुर्द नहीं करें।

अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षीगण प्रार्थीगण को सरहद हरणी कलाँ पटवार हल्का हरणी कलां तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) मे आराजी नम्बर 1730 रकबा 1.4668 हैक्टयर मे प्रार्थीगण का कमी रकबा 07 बिस्वा जिस पर प्रार्थीगण काबिज है से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे व न ही किसी अन्य से करावे व प्रार्थीगण को उक्त आराजी का शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे व न ही किसी अन्य से करावें व आराजियात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द नही करे व विपक्षी संख्या 01 से 06 उक्त आराजियात के रहन, विक्रय, हस्तांतरण संबधी दस्तावेज विपक्षी संख्या 08 के यहां पेश करे तो विपक्षी संख्या 08 उसका पंजीयन नही करे व विपक्षी संख्या 07 राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन नही करे व विपक्षीगण मौके पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण आदि भी नही करे व मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.03.2023 तक इस आशय की जारी की गई कि ग्राम हरणीकलां पटवार हल्का हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1730 रकबा 1.4668 के सम्बन्ध में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे। विपक्षीगण को सम्मन जारी किये गये विपक्षी संख्या 01 की और से बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने विवादित आराजी संख्या 1729 जिसके साबिक आराजी नम्बर 766 / 2क रकबा 05–05 बीघा है, को खातेदार जोधा पिता भुरा जाट निवासी हरनेई कलां से दिनांक 09.06.1975 को खरीद की है। तत्समय ही होने वाले नवीन सेटलमेंट में साबिक आराजी नम्बर संख्या 766 / 2क रकबा 05 बीघा आराजी नम्बर 1729 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा और 05 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 1731 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा कायम हुये और खातेदार जोधा पिता भुरा जाट के नाम दर्ज रेकॉर्ड किये गये । गरज कि आराजी संख्या 1729 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा में यदि प्रार्थीगण कोई कमीशुदा रकबा होना कथन करते हैं तो उक्त रकबा खातेदार जोधा पिता भुरा जाट के नाम ही आराजी संख्या 1731 में मिलाते हुये दर्ज किया गया है, जिस संबंध में राजस्व रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियाँ हमराह जवाब प्रार्थनापत्र पेश है। इसके अलावा यहाँ यह लिखना भी प्रासंगिक व सुसंगत है कि प्रार्थीगण का खरीदशुदा सम्पुर्ण रकबा अर्थात् आराजी संख्या 1729 व आराजी संख्या 1731 के रकबे पर कब्जा व दखल हो चला आ रहा है तथा प्रतिवादी की आराजियात पर प्रार्थीगण का कोई किसी प्रकार से कब्जा व दखल नहीं है और न कभी रहा ही है। गरज कि प्रार्थीगण ने हस्तगत वाद व प्रार्थनापत्र निराधार वास्तविकता से परे संस्थित किया है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

प्रार्थीगण द्वारा कथित कमीशुदा रकबा 07 बिस्वा उत्तरदाता विपक्षी के नाम दर्ज रेकार्ड आराजी में नहीं मिलाया गया है वरन् आराजी संख्या 1731 में मिलाया हुआ होकर प्रार्थीगण के ही कब्जें में हो चला आ रहा है। तो फिर ऐसी हालत में प्रार्थीगण को विवादग्रस्त आराजी पर से बेदखल करने अथवा विवादित आराजी को रहन विक्रय कर खुर्द-बुर्द करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इस कारण प्रार्थीगण उत्तरदाता विपक्षी के विरूद्ध कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थीगण का वादपत्र खारिजी के है। प्रार्थीगण ने विवादित आराजी संख्या 1729 जिसके साबिक आराजी संख्या 766/2क रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा है, को खातेदार जोधा पिता भुरा जाट निवासी हरनेई कलां से दिनांक 09/06/1975 को खरीद की है। इसी प्रकार उत्तरदाता विपक्षी के पुर्वजों द्वारा आराजी संख्या 1730 जिसके साबिक आराजी संख्या 766/1क रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा को खरीद की गई । तत्समय ही होने वाले नवीन सेटलमेंट में साबिक आराजी संख्या 766/2क रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 1729 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा और आराजी संख्या 1731 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा कायम हुये और खातेदार जोधा पिता भुरा जाट के नाम दर्ज रेकॉर्ड किये गये । गरज कि आराजी संख्या 1729 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा में कथित कमीशुदा रकबा 07 बिस्वा खातेदार जोधा पिता भुरा जाट के नाम ही आराजी संख्या 1731 में मिलाते हुये दर्ज किया गया है, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को सदैव से हो चली आ रही है। इतना ही नहीं प्रार्थीगण का आराजी संख्या 1729 के साथ-साथ 1731 के रकबे पर भी सदैव से कब्जा दखल हो चला आ रहा है। इस प्रकार का प्रार्थीगण का खरीदशुदा सम्पूर्ण रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जा व दखल हो चला आ रहा है ऐसी हालत में प्रार्थीगण उत्तरदाता विपक्षी से कोई भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से हस्तगत वाद व प्रार्थना पत्र किसी कदर पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण कानुनन पोषणीय न होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुये वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय की जारी कराई जाये कि विपक्षीगण ग्राम हरणीकलां पटवार हल्का हरणीकलां के आराजी नम्बर 1730 रकबा 1.4668 हैक्टेयर में प्रार्थीगण का कमी रकबा 07 बिस्वा जिस पर प्रार्थीगण काबिज है से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावें प्रार्थीगण को उकत आराजी का शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग-उपभोग करने देवे व किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वंय पैदा करे व न ही किसी अन्य से करावें। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में विधिक दृष्टांत पेश किये है जो क्रमशः (1) RRT 2015 (2) 1300-1303, (2) RRT 2015 (2) 1445-1448, (3) RRT 2011-12 supp. 463-466, (4) RRT 2016 (2) 1084-1087, (5) DNJ 2017 (2) Raj. Page 832-839, (6) RRT 2006 (2) 1369-1371 है।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने विवादित आराजी संख्या 1729 जिसके साबिक आराजी संख्या 766/2क रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा है, को खातेदार जोधा पिता भुरा जाट निवासी हरनेई कलां से दिनांक 09/06/1975 को खरीद की है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 01 के पुर्वजों द्वारा आराजी संख्या 1730 जिसके साबिक आराजी संख्या 766/1क रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा को खरीद की गई । तत्समय ही होने वाले नवीन सेटलमेंट में साबिक आराजी संख्या 766/2क रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 1729 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा और आराजी संख्या 1731 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा कायम हुये और खातेदार जोधा पिता भुरा जाट के नाम दर्ज रेकॉर्ड किये गये । गरज कि आराजी संख्या 1729 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा में कथित कमीशुदा रकबा 07

उपखण्ड अधिकारी एवं देन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

खातेदार जोधा पिता भुरा जाट के नाम ही आराजी संख्या 1731 में मिलाते हुये दर्ज किया गया है, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को सदैव से हो चली आ रही है। इतना ही नहीं प्रार्थीगण का आराजी संख्या 1729 के साथ–साथ 1731 के रकबे पर भी सदैव से कब्जा दखल हो चला आ रहा है। इस प्रकार का प्रार्थीगण का खरीदशुदा सम्पूर्ण रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जा व दखल हो चला आ रहा है ऐसी हालत में प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 से कोई भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र किसी कदर पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। विपक्षी संख्या 01 रेकार्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का सव्यय खारीज कराया जावें। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में विधिक दृष्टांत पेश किये है जो क्रमशः (1) 2022-23 (Supp.) RRT 176, (2) 2021 (1) RRT 610 है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का एवं इस प्रार्थना पत्र के विपक्षी संख्या 01 के जवाब का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तथ्यों का भलिभांति परीक्षण किया गया। वादग्रस्त ग्राम हरणीकलां पटवार हल्का हरणीकलां तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 1730 जिसके साबिक आराजी नम्बर 766/1क रकबा 05–05 बीघा को विपक्षी संख्या 01 के पूर्वजों द्वारा खरीद की गई है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी संख्या 1730 की विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 खातेदार है। प्रार्थी खातेदार नहीं है। वादी के वादपत्र में विपक्षीगण के विरूद्ध जिन बिन्दुओ पर आपत्तियॉ प्रकट की गयी है उनके सम्बन्ध में उभयपक्ष की साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का गुणावगुण पर विनिश्चिय किया जायेगा।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 के खण्डन में विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत क्रमशः ((1) 2022-23 (Supp.) RRT 176, (2) 2021 (1) RRT 610 इस प्रकरण में चस्पा होते है।

प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है वादग्रस्त आराजी विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 की खातेदारी होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 में दिनांक 20.02.2023 को जारी की गई अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं बढाया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 स्वीकार योग्य नहीं ठरहता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का विरूद्ध विपक्षीगण सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा